कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–735/1321 रायपुर, दिनांक 27/05/2019

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल, कोण्डागांव
छत्तीसगढ़

विषयः – **आवेदनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव का दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के रकबा 4.00 हे. में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।**

संदर्भः – छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5–08/2019/10–2 दिनांक 20.05.2019

=0=

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे (छाया प्रति संलग्न)।

उक्त प्रकरण को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नक्सल प्रभावित जिलो में सामान्य अनुमोदन के तहत दिये गये अधिकारों के अधीन राज्य शासन स्तर से प्रथम चरण अनुमति जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है। अथवा भारत सरकार से प्रथम चरण अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर भेजा जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः उपरोक्त बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रकरण में अपनी टीप / अभिमत मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के अनुशंसा सहित तत्काल प्रेषित करे ताकि शासन द्वारा चाही गई जानकारी अविलंब प्रेषित की जा सके।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की छाया प्रति (1 पृष्ठीय)

(अतुल कुमार शुक्ला)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 735/1322 रायपुर, दिनांक 27 /05/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर छत्तीसगढ़।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की छाया प्रति (1 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़